यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) के माह 09.2017 से 09.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 14.10.2018 से 27.10.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस. के. सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.09.2017 से 19.09.2017 तक श्री शशिकांत पाण्डेय, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07.2016 से 08.2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि से वांछित निर्माण कार्य कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि से ग्रामीण सड़के बनाए जाने का भी कार्य किया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर- स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	155.25	151.35	3.90	973.02	275.88	1248.90	730.88	518.02
2016-17	172.22	160.26	11.96	518.02	995.97	1513.99	908.97	605.02
2017-18	183.76	183.76	0	605.02	818.69	1423.71	788.94	634.77
2018-19 (till 09.2018)	221.87	101.45	120.42	634.77	578.82	1213.59	369.47	844.12

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग:</u>

1. मुख्य अभियंता (स्तर - 1)
2. मुख्य अभियंता (स्तर- 2)
3. अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार)
4. अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार)
5. सहायक अभियन्ता
6. कनिष्ठ अभियन्ता

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u>

1. वित्त नियंत्रक
2. खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी
3. प्रशासनिक अधिकारी
4. प्रधान सहायक
5. कनिष्ठ सहायक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2017 से 09.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर -1 रु. 230.82 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नई टिहरी की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागों द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागो द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 16 माह से लेकर 116 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । उल्लेखनीय है कि इन कार्यों मे से अधिकतर कार्य अनारम्भ स्थिति मे थे। इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 14 विभागो के 60 निर्माण कार्यों (संलग्नक -1) की रु. 230.82 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 09 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित तालिका मे से 19 कार्य पूर्ण किए जा चुके है जिनका समायोजन किया जाना शेष है ,शेष कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करा दिया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि इकाई द्वारा जिन 19 कार्यों को पूर्ण किया जाना बताया गया है उनकी भी धनराशि निक्षेप पंजिका मे विगत 1.5 वर्ष से शेष पड़ी हुई है,उसका किस प्रकार समायोजन शेष है यह इकाई द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त संलग्नक -1 के अन्य कार्यों हेतु धनराशि विगत 16 माह से लेकर 116 माह तक की अवधि पूर्व प्राप्त हुई थी ,इतनी लंबी अवधि बीत जाने के वावजूद भी कार्य अपूर्ण पड़े थे एवं उनको पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे साथ ही इन कार्यों मे से काफी कार्य अनारम्भ स्थिति मे थे । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 230.82 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>संलग्नक</u>

धनराशि(रु में)

विभाग का नाम	कार्य का नाम	धनराशि प्राप्त होने का माह	
सामुदायिक विकास	प्रतापनगर के आवा० अनावासीय भवनों का निर्माण/	11/2012	140810
पर्यटन विकास	प्रतापनगर के कोर्दीमें बुरास्खंडा देवी मंदिर सौंदर्यकरण	11/2012	100000
	प्रतापनगर मठसिलवालगाँव में कम्यूनिटीहाल का निर्माण	08/2013	128373
	प्रतापनगरके रौणियाके अनु०जाति मेंकंप्यूटरहाल निर्माण	03/2013	100029
	कैंपटी में प्राचीन शिवालय स्थल में ब्यू पॉइंट	12/2016	163071
	जौनपुर खानदण में पार्क एवं बैंच निर्माण	12/2016	103082
	मतली में ब्यू पॉइंट का निर्माण	12/2016	101503
	ग्राम पं० वेट के नाग राजस्थल में बैंच का निर्माण	12/2016	152102
	ग्राम पं० रणोगी से ट्रेकिंग मार्ग एवं बेंच	12/2016	103946
	ग्राम पं० अगिण्डा में व्यू पॉइंट	12/2016	101928
	ग्राम पं० सिजल में बैच निर्माण	12/2016	100000
	ग्राम पटूडी स्थल जल प्राप्त	12/2016	100000
शिक्षा	रा० उ० मा०वि० क्यारा जमोला का निर्माण	12/2016	122481
	रा० उ० मा०वि० मटियाली का निर्माण	06/2011	163083
	रा० जू०हा०बनाली का निर्माण	07/2011	328328
	रा० उ० मा०वि० टिंगरी का निर्माण	07/2011	356353
	रा० उ० मा०वि० क्यारी का निर्माण कार्य	07/2011	355276
	रा०इ०का० पावकीदेवी नरेंद्रनगर में कक्षाकक्ष का निर्माण	01/2012	204614
	रा० उ० मा०वि० क्यारा दोगी में कक्षा कक्ष निर्माण	02/2012	177585
	रा०इ०का० देवताधार में कक्षा कक्ष	11/2012	1021600
	रा०इ०का० गल्याखेत में कक्षा कक्ष	11/2012	244308
	रा०इ०का० देवताधार में दो कक्षा कक्ष मय बरामदा	06/2013	107485
	रा०इ०का० दुवधार में दो कक्षा कक्ष मय बरामदा	06/2013	227317
	रा०इ०का० देवताधार में प्रयोगशाला	02/2014	218918
	रा०उ०मा०वि०देवताधार मेंप्रयो०,कंप्यूटर,आर्ट कक्ष निर्माण	06/2014	422817
	रा०उ०मा०वि०दुर्गाधार में प्रयो०,कंप्यूटर, आर्टकक्ष निर्माण	06/2014	306915
	रा०उ०मा०वि०ज्ञानसु में प्रयो०,कंप्यूटर, आर्ट कक्ष निर्माण	06/2014	893450
	रा०उ०मा०वि०चौपा में प्रयो०,कंप्यूटर, आर्ट कक्ष निर्माण	06/2014	909035
	रा० उ० मा०वि० मोटणा का कार्य	02/2016	6322500
	रा० आ० वि० वेवनघनसी में पूर्ण छत मरम्मत का कार्य		309383
	रा० प्रा० वि० पुजारगाँव रौणद रमोली पूर्णछत मरम्मत	04/2016	208147
	रा० प्रा० वि० माजिफ में छत ग्रौटिंग कार्य	04/2016	150000
	रा० प्रा० वि०गौरणार कक्षा कक्ष निर्माण	04/2016	127847
	रा० प्रा० वि० जैंतवाड़ी	04/2016	119704

	रा० प्रा० वि० मराड़	03/2017	150000
स्वास्थ्य	परिवार कल्याण उपकेंद्र पूवीलदोगी	01/2009	125108
पशुपालन	पशु चि० फकोट का नि० कार्य	04/2006	182907
	पशु चि० सत्यो भवन निर्माण	01/2014	208821
	पशु सेवा केंद्र इड्डूर	04/2016	140578
	पशु सेवा केंद्र सरोठ	04/2016	275014
	पशु सेवा केंद्र भेनगी	05/2016	183078
संस्कृति	ग्राम सभा सुनारगाँव में स्व० संग्राम सेनानी राम सिंह भण्डारी द्वार निर्माण	03/2016	100000
जिलाधिकारी	कानूनगो चौकी चाका का निर्माण	06/2009	271411
क्रीड़ा एवं खेलकूद	क्रीड़ा भवन बहुद्देशीय भवन नरेंद्र नगर का मरम्मत / विस्तारीकरण का कार्य/	02/2013	103003
मत्स्य	नागणी स्थित विभागीय भूमि पर बाउंड्रीबाल का निर्माण	04/2016	158551
ग्राम्य विकास	स्वास्थ्य उपकेंद्र कोटालगाँव में भवन निर्माण कार्य	03/2016	185452
व्यवसायिक प्रशिक्षण	आई एम सी रा० औ० प्रशि० संस्थान बौराड़ी के कार्यशाला भवन निर्माण	08/2015	559765
टीएचडीसी	नैचोली से फिपल्टी गाँव तक मार्ग निर्माण	05/2016	168070
	काण्डखेतमुख्यमार्ग से कुरगोलीसेकुल्फी तकमार्ग निर्माण	05/2016	101874
	जीरो ब्रिज से महड़ गाँव तक क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को सी सी से पक्का करना	05/2016	128807
	नैल नमक तोक से पीपलडाली से डिग्गीतोडिया घाट बेसिक स्कूल तक	05/2016	264968
	चम्बा ग्रा० सेमल्टा में सामुदायिक भवन का निर्माण	05/2017	825118
	ग्राम पाटा में बारातघर का निर्माण (चम्बा)	05/2017	211535
	ग्राम आलोमती में सी सी मार्ग का निर्माण कार्य	05/2017	262500
औद्योगिक एवं वानिकी	शोध एवं प्रसार केंद्र कानताल में सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स की स्थापना	08/2016	3023329
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल	ग्रामपं० सुनारगाँव में खेल मैदान निर्माण	09/2014	100000
	ग्रामपं० बागी में खेल मैदान निर्माण	09/2015	100000
	थौलधर बेरगनी मिनी स्टेडियम का निर्माण-	04/2016	133516
	ग्राम भैगा में खेल मैदान निर्माण	08/2016	300000
	डिग्री कालेज लैम्बगाँव में खेल मैदान	11/2016	126816
कुल धनराशि			**2,30,82,211**

<u>भाग- 2ब</u>

प्रस्तर-02: भूमि अधिग्रहण के मुवावजे पर ₹10.98 लाख एवं कार्य के एक मद पर ₹ 2.64 लाख के अनियमित व्यय सहित कुल रु. 13.62 लाख का अनियमित व्यय।

शासनादेश संख्या: 146(1)/XII-2/2015/83(04)/2014 दिनाँक 16 दिसम्बर 2015 द्वारा ग्राम जेवाला से रौणिया होते हुये प्राथमिक विद्यालय स्यारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹207.43 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्य के प्राक्कलन में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे हेतु ₹ 1513100/- की दर से 1.488 हैक्टेयर हेतु कुल ₹22.51 लाख का प्रावधान किया गया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन में प्रावधानित मात्रा से अधिक (2.212 हेक्टर ₹33.49 लाख) अर्थात 0.72 हैक्टेयर हेतु ₹10.98 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जिस हेतु उच्चाधिकारियों से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, और भुगतान की गणना में त्रुटि के कारण ₹1889/- अधिक भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि गणना में त्रुटि के कारण अधिक भुगतान ₹1889/- को सही किया जायेगा एवं प्राक्कलन में भूमि अधिग्रहण की धनराशि अनुमानित होती है परन्तु कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति व दरों में परिवर्तन होने के कारण भूमि प्रतिकर की धनराशि में परिवर्तन आया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान प्राक्कलन की दर से ही किया गया है। यदि प्रावधानित मात्रा में परिवर्तन होता है तो मुख्यालय स्तर से अनुमति के पश्चात भुगतान किया जाना चाहिये था, जिसकी स्वीकृति लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी।

इसके अतिरिक्त नाई-मिनडाथ मोटर मार्ग से नौगाँव तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पर अनुबन्ध सं.-29/EE के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बगैर RR Stone Masonry Dry मद पर अनुबंधित मात्रा से 301.55 cum के अधिक कार्य पर ₹2.64 लाख का व्ययाधिक्य किया गया। इस सम्बन्ध में पुछे जाने पर इकाई ने बताया कि उक्त मद का विचलन शीघ्र ही स्वीकृत करा लिया जायेगा।

अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर भूमि अधिग्रहण के मुवावजे पर ₹10.98 लाख एवं RR Stone Masonry Dry मद पर ₹2.64 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-03- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 8.17 लाख की वसूली नहीं किया जाना।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नई टिहरी के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे । अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी ,जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि ,द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि की 10%राशि) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा पाया गया कि-

(1) नाई-मिनडाथ मोटर मार्ग से नौगाँव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 2.125 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 4 अनुबंधों का गठन किया गया था । संलग्नक-1 के अनुसार सभी अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य माह 02/2017 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (10/2018) तक उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 1.5 वर्ष अधिक बीत जाने के वावजूद भी अपूर्ण था। अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 8.17 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही किए बिना तथा ठेकेदार के बिल से कोई धनराशि रोके बिना ठेकेदार को भुगतान किया गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अनुबंध संख्या 32 के ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़े जाने के कारण इसका अंतमिकरण किया जा रहा है जिसमे ठेकेदार द्वारा जमा एवं बिलों से काटी गयी जमानत राशि जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। शेष अनुबन्धो मे लेखा परीक्षा द्वारा सूचित दंडात्मक धनराशि की वसूली ठेकेदार के आगामी बिलों से कर ली जाएगी। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः रु. 8.17 लाख की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>संलग्नक -1</u>

अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब 09/18)तक	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
28/ईई16.8.16/	16.2.17	अपूर्ण /19माह	2493666	2028325
29/ईई16.8.16/	16.2.17	अपूर्ण /19माह	1587109	1403444
30/ईई16.8.16/	16.2.17	अपूर्ण /19माह	2487786	1872496
32/ईई29.8.16/	29.2.17	अपूर्ण /19माह	1601530	771344
			81,70,091	**60,75,609**

STAN

<u>प्रस्तर</u>- 1 :- धनराशि रु 5.53 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय नियमानुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) की निक्षेप पंजिका भाग i, ii & v के निरीक्षण में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा संबंधितों द्वारा तीन वर्षो से अधिक समय से दावा न किए जाने के बावजूद राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई। विवरण:-

पंजिका	**धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह**	**ठेकेदार/संबन्धित का नाम** (मै./ श्री / श्रीमती)	**अवशिष्ठ धनराशि (रु) (as on 30.09.2018)**	**मद सं. (Item No.)**
भाग i & ii पंजिका	07.1981	गफ्फार खाँ	150	1
---तदैव---	05.1981	दयाशंकर लाल	180	2
---तदैव---	05.1981	जहरुद्दीन	300	3
---तदैव---	03.1983	प्रेमनाथ शर्मा	300	4
---तदैव---	02.1985	भगत सिंह	50	5
---तदैव---	03.1985	अवरार अहमद	150	6
---तदैव---	03.1985	विजय पाल सिंह	1250	7
---तदैव---	09.1985	इन्द्र जीत सिंह चौहान	450	8
---तदैव---	09.1985	अजय शर्मा	1100	9
---तदैव---	09.1985	सुशील कुमार धारीवाल	650	10
---तदैव---	09.1985	जितेंद्र कुमार	400	11
---तदैव---	09.1985	संजय कुमार	1100	12
---तदैव---	09.1985	विनोद कुमार	550	13
---तदैव---	09.1985	योगराज सिंह गौतम	1050	14
---तदैव---	09.1985	कौशल किशोर	210	15
---तदैव---	03.1997	हिमालयन इलै.	2190	1
---तदैव---	07.1997	सुमन सिंह	436	2
---तदैव---	11.1997	बलवीर सिंह	784	3
---तदैव---	03.1998	रमेश सिंह रावत	1391	4
---तदैव---	03.1998	बलवीर सिंह रावत	1621	5
---तदैव---	03.1999	आँचल परिमंडल	7404	6
---तदैव---	12.1999	भगवान सिंह	200	7
---तदैव---	12.1999	भागीरथी इंटरप्राइजेज़	5164	8
---तदैव---	10.2004	आनन्द सिंह नेगी	1597	9
---तदैव---	10.2004	नत्थी सिंह मेहर	998	10

---तदैव---	07.2005	शिव दयाल भड़का	43993	11
---तदैव---	05.2006	कुँवर सिंह चौहान	7681	12
---तदैव---	08.2006	सोवन सिंह	2436	13
---तदैव---	10.2006	कृपाल सिंह नेगी	1101	14
---तदैव---	10.2006	विशाल मनी चमोली	2626	15
---तदैव---	02.2007	वीर सिंह रावत	2074	16
---तदैव---	02.2007	बृज मोहन कंडारी	26654	17
---तदैव---	08.2007	कमल सिंह रावत	18026	18
---तदैव---	07.2008	विक्रम सिंह रावत	19006	19
---तदैव---	02.2008	दिग्विजय सिंह कैतूरा	255977	20
---तदैव---	05.2008	पुराण सिंह रावत	3779	21
---तदैव---	01.2008	वीर सिंह रावत	6063	22
---तदैव---	12.2008	कृपाल सिंह	8960	23
भाग v पंजिका	03.2007	वीर सिंह रावत	4000	13
---तदैव---	05.2007	प्रेम सिंह रावत	5000	17
---तदैव---	05.2007	हरीश चन्द्र सिंह	5000	18
---तदैव---	07.2007	धनपाल सिंह रांगड़	10000	21
---तदैव---	07.2007	सुंदर सिंह रावत	20000	22
---तदैव---	10.2007	उम्मेद सिंह	5000	23
---तदैव---	01.2008	भरत राम जोशी	25000	24
---तदैव---	05.2008	पुरन सिंह रावत	4000	25
---तदैव---	03.2008	अजय पाल भण्डारी	30000	26
---तदैव---	08.2008	कमल सिंह रावत	15000	27
---तदैव---	08.2008	पूरण सिंह	1993	28
		Total =	**5,53,044/-**	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि " समय समय पर संबंधितों को पत्राचार इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता रहा है परन्तु कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण उक्त धनराशियाँ अदावाकृत पड़ी हैं। शीघ्र ही राजस्व खाते में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा" उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 09.2018 तक उक्त धनराशि रु 5,53,044/- अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 5.53 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/AIR-01/ 2003-04	1	NIL	01
SS/AIR-19/ 2004-05	NIL	1	NIL
SS/AIR-60/ 2005-06	1	1,2	NIL
SS/AIR-13/ 2010-11	NIL	1,2,3	NIL
SS/AIR-07/ 2014-15	NIL	1,2,3,4	NIL
SS/ AIR-44/ 2016-17	NIL	1,2,3	NIL
SS/AIR-99/ 2017-18	NIL	1,2,3,4,5,6	NIL

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-01/ 2003-04	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- (Nil) **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- (Nil) **STAN**- 01	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-19/ 2004-05	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- (Nil) **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1; **STAN**- nil	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-60/ 2005-06	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- 1; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1, 2; **STAN**- (Nil)	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-13/ 2010-11	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- (Nil) **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1,2,3; **STAN**- (Nil)	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-07/ 2014-15	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- (Nil) **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1,2,3,4; **STAN**- (Nil)	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/ AIR-44/ 2016-17	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- (Nil) **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1,2,3; **STAN**- (Nil)	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-99/ 2017-18	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- (Nil) **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1,2,3,4,5,6; **STAN**- (Nil)	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री तेजपाल सिंह	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से 11.06.2018 तक
श्री युवराज सिंह	अधिशासी अभियंता	दिनांक 12.06.2018 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.